झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

सं0सं0– विधि कोषांग–023/2017......642/वि0 राँची, दिनांकः–.....06.10.18

झारखण्ड अनिवार्य विवाह निबंधन अधिनियम, 2017 की धारा–32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार निम्नलिखित नियमावली का गठन करती है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ–

(1) यह नियमावली झारखण्ड अनिवार्य विवाह निबंधन नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2.) इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

(3.) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ– इस नियमावली में, जबतक प्रसंगवश अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड अनिवार्य विवाह निबंधन अधिनियम, 2017

(ख) "विवाह" से अभिप्रेत है निम्नांकित अधिनियम अन्तर्गत जाति एवं धर्म से निरपेक्ष स्त्री एवं पुरूष के मध्य संपादित विवाह अथवा पुनर्विवाह

(i) विशेष विवाह अधिनियम, 1954,

(ii) हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955,

(iii) भारतीय इसाई विवाह अधिनियम, 1872,

(iv) मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम (शरीयत) 1937,

(v) आनन्द विवाह अधिनियम, 1909

(vi) काजी अधिनियम, 1880,

(vii) विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 तथा

(viii) पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936

(ix) विवाह से संबंधित अन्य पर्सनल लॉ अथवा परंपरा

(ग) ''महानिबंधक विवाह'' से तात्पर्य है अधिनियम, की धारा–5 के अन्तर्गत नियुक्त महानिबंधक विवाह।

(घ) ''मुख्य विवाह निबंधक'' से तात्पर्य है उपायुक्त–सह–जिला निबंधक

(ड) ''विवाह निबंधक'' से तात्पर्य है, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे पदाधिकारी जो जन्म एवं मृत्यु के निबंधन हेतु प्राधिकृत है।

3. विवाह निबंधन पदाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारः–

(क) झारखण्ड अनिवार्य विवाह निबंधन अधिनियम, 2017 की धारा–7 के अनुसार शहरी क्षेत्र में अनिवार्य विवाह निबंधन का कार्य स्थानीय शहरी निकाय यथा नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर परिषद, नगर पंचायत आदि अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु का निबंधन करने वाले पदाधिकारियों द्वारा ही किया जाएगा तथा विवाह निबंधन का क्षेत्राधिकार भी जन्म एवं मृत्यु के निबंधन हेतु निर्धारित क्षेत्राधिकार के अनुसार होगा।

(ख) इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य विवाह निबंधन का कार्य उन पदाधिकारियों द्वारा संपादित होगा जो जन्म एवं मृत्यु का निबंधन करते हैं तथा विवाह निबंधन के क्षेत्राधिकार भी जन्म एवं मृत्यु के निबंधन हेतु निर्धारित क्षेत्राधिकार के अनुसार होगा।

(ग) छावनी पर्षद् क्षेत्र में अनिवार्य विवाह निबंधन का कार्य उन पदाधिकारियों द्वारा संपादित होगा जो जन्म एवं मृत्यु का निबंधन करते हैं तथा विवाह निबंधन के क्षेत्राधिकार भी जन्म एवं मृत्यु के निबंधन हेतु निर्धारित क्षेत्राधिकार के अनुसार होगा।

4. अनिवार्य विवाह निबंधन शुल्क एवं अर्थदण्ड–

(क) इस नियमावली अन्तर्गत निम्नांकित शुल्क देय होगाः– (i) अनिवार्य विवाह निबंधन शुल्क 50रू0 (ii) विलंब शुल्क प्रतिदिन 5 रू0 की दर से अधिकतम 100रू0 (iii) अनुक्रमणि खोज शुल्क प्रतिवर्ष 10 रू0 (iv) विवाह प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति 50रू0 (v) विवाह निबंधन आपत्ति शुल्क 500रू0।

(ख) इस नियमावली अन्तर्गत निर्धारित समस्त शुल्क, जुर्माना, अर्थदण्ड आदि का भुगतान मुख्य शीर्ष 0030–स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क–उप मुख्य शीर्ष–03–पंजीकरण शुल्क–लघुशीर्ष–800–अन्य प्राप्तियाँ–उपशीर्ष 01–प्राप्तियाँ–003003800010101 अन्तर्गत देय होगा।

(ग) समस्त शुल्क एवं अर्थदण्ड का भुगतान ऑनलाईन पद्धति से किया जाएगा।

5. शुल्क बही एवं रोकड़ बही–

इस नियमावली अन्तर्गत प्राप्त समस्त शुल्क अर्थदण्ड आदि से संबंधित शुल्क बही प्रतिदिन ऑनलाइन जनित होगी तथा ऑनलाइन जनित शुल्क बही के आधार पर प्रत्येक विवाह निबंधक द्वारा विहित प्रपत्र–'क' में रोकड़ बही संधारित की जाएगी।

6. विवाह निबंधन की शर्तें:–

विवाह के निबंधन हेतु निम्नांकित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा:–

(i) वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा वधू की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो।

(ii) दोनो पक्षकारों में किसी का पति अथवा पत्नी जीवित न हो, जबतक कि पक्षकारों के संबंधित पर्सनल लॉ में ऐसा प्रावधानित न हो।

(iii) दोनों पक्षकारों में से कोई पागल अथवा मानसिक रूप से असंतुलित न हो।

(iv) दोनों पक्षकारों के मध्य नियमावली की अनुसूची 'क' के अन्तर्गत प्रतिबंधित संबंध न हो किन्तु स्थापित स्थानीय रीति रिवाज के अन्तर्गत संपादित विवाह प्रतिबंध की श्रेणी में नहीं आऐगें तथा इनका निबंधन वैध होगा।

(v) दोनों पक्षकारों में से कोई भी मानसिक असंतुलन के कारण विवाह निबंधन हेतु वैध सहमति देने में अक्षम न हो।

(vi) दोनों पक्षकारों में से एक भारतीय नागरिक तथा संबंधित विवाह निबंधक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत निवासी हो अथवा विवाह उस विशेष क्षेत्र में संपादित हुआ हो।

7. विवाह निबंधन के संबंध में आपत्ति:–

(i) यदि कोई व्यक्ति विवाह निबंधन के संबंध में आपत्ति करना चाहता है तो उस द्वारा आपत्ति की सत्यता के संबंध में शपथ–पत्र एवं निर्धारित शुल्क के साथ लिखित आवेदन ऑनलाईन विवाह निबंधक को प्रेषित करना होगा।

(ii) यह आवेदन विवाह निबंधन आवेदन प्रेषण की तिथि के एक सप्ताह के अंदर निर्धारित शुल्क के साथ समर्पित किया जाएगा।

(iii) विवाह निबंधक द्वारा आपत्ति की जाँच कर दो माह की सीमा के अंदर आदेश पारित किया जाएगा।

8. अनिवार्य विवाह निबंधन प्रक्रियाः—

अनिवार्य विवाह निबंधन हेतु ऑनलाइन आवेदन ई—निबंधन पोर्टल पर समर्पित किये जाएगें।

(i) विवाह के अनिवार्य निबंधन हेतु समस्त आवेदन ऑनलाईन पद्धति से विशिष्ट क्षेत्राधिकार के विवाह निबंधक को प्रेषित किये जायेंगे। पक्षकारों तथा गवाहों की व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु तिथि तथा समय का निर्धारण ऑनलाईन भी किया जा सकेगा।

(ii) इस प्रयोजनार्थ, विवाह के पक्षकारों द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरा जाएगा जिसमें पक्षकारों का नाम, फोटो, आयु, निवास स्थान, व्यवसाय, विवाह की तिथि, विवाह का स्थान, मोबाईल संख्या तथा ऐसे अन्य आवश्यक वर्णन, जिसे विभाग मांगे, वर्णित होंगे तथा आधार संख्या का वर्णन वांछनीय हो।

(iii) ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन के साथ स्थानीय मुखिया, सरपंच, किसी राजपत्रित पदाधिकारी अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार प्राधिकृत करे, के स्तर से प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाएगा जिसमें यह वर्णित होगा कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री एवं श्रीमती................................ .... का विवाह अमुक तिथि को संपादित किया गया है।

जबकि शहरी क्षेत्र में विवाह के पक्षकार वार्ड पार्षद्, किसी राजपत्रित पदाधिकारी अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार प्राधिकृत करें, के स्तर से प्राप्त प्रमाण—पत्र संलग्न करेंगे जिसमें वर्णित होगा कि " मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री एवं श्रीमती............ .... का विवाह अमुक तिथि को संपादित हुआ है।

(iv) ऑनलाईन आवेदन के साथ पक्षकारों द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रमाण—पत्र के अतिरिक्त, वर एवं वधू के विवाह का फोटो, पंडित/काजी आदि द्वारा निर्गत विवाह प्रमाण-पत्र भी अपलोड किये जाएगें। साथ ही आयु प्रमाण—पत्र, निवासी प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड अथवा अन्य ऐसे दस्तावेज जिसे विभाग चाहे, अपलोड किये जायेंगे।

(v) आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क/विलंब शुल्क आदि भी ऑनलाईन पद्धति से जमा किये जायेंगे।

(vi) आवेदन के सफलतापूर्वक प्रेषण के साथ आई0डी0 संख्या जनित होगी तथा आवेदक अपने आवेदन की स्थिति उक्त आई0डी0 द्वारा पता कर सकेंगे।

(vii) आवेदकों द्वारा आवेदन प्रज्ञा केन्द्रों अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य एजेन्सियों के माध्यम से भी किया जा सकेगा।

(viii) विवाह निबंधक अपने यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन की जाँच कर सकेंगे तथा यदि आवेदन में कोई त्रुटि प्रतीत होती है तो आवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर वह त्रुटि सुधार हेतु पक्षकार को ऑनलाईन रूप से सूचित करेंगे। यदि विवाह निबंधन के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो विवाह निबंधक आवेदक को उसकी सूचना ऑनलाईन देंगे।

(ix) अप्रवासी भारतीय अथवा विदेश में प्रवासी पक्षकार के साथ विवाह सपन्न होने की स्थिति में विवाह निबंधक द्वारा संबंधित दूतावास से उस व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी।

(x) विवाह निबंधक द्वारा इस संबंध में पक्षकारों को अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा जा सकेगा जिससे आवेदन में वर्णित तथ्यों/पक्षकारों या गवाहों की पहचान सत्यापित हो सके।

(xi) इस संबंध में विवाह निबंधक द्वारा पक्षकारों के आवासीय थाना क्षेत्र के थाना से भी सूचना माँगी जा सकेगी।

(xii) आवेदन समर्पित करने के 15 दिनों के उपरांत यदि पक्षकार किसी त्रुटि–सुधार अथवा विवाह निबंधन से संबंधित किसी आपत्ति की सूचना नहीं पाते हैं, तो दोनों पक्षकार विवाह निबंधन हेतु संबंधित विवाह निबंधक के कार्यालय में समस्त मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे।

(xiii) विवाह निबंधक के कार्यालय में आवेदक की आयु, निवास स्थान, पहचान, मुखिया/वार्ड कमिशनर से प्राप्त प्रमाण–पत्र की जाँच की जाएगी। सभी दस्तावेज उचित होने की स्थिति में दोनों पक्षकारों तथा तीन गवाहो का फोटो लिया जाएगा तथा

विवाह निबंधक द्वारा विवाह प्रमाण–पत्र ऑनलाईन निर्गत किया जाएगा जिसे पक्षकार डाउनलोड कर सकेंगे।

9. विवाह निबंधन से अस्वीकृतिः–

किन्तु जब समर्पित दस्तावेजों की जांच अथवा अन्य माध्यमों से निबंधक को यह विश्वास हो कि–

(क) पक्षकारों का विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम, इसाई विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम, काजी अधिनियम, आनन्द विवाह अधिनियम, पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम आदि के अन्तर्गत पक्षकारों के स्वधर्मशास्त्र के अनुसार संपादित नहीं हुआ है या

(ख) पक्षकारों की पहचान, गवाहों की पहचान अथवा विवाह का संपादन शंकारहित रूप से संपादित नहीं हुआ है या

(ग) प्रस्तुत दस्तावेज पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति को प्रमाणित न करता हो तो

(घ) विवाह निबंधक द्वारा पक्षकारों की सुनवाई के उपरांत विवाह निबंधन अस्वीकृत किया जाएगा तथा उससे संबंधित कारण अस्वीकृति आदेश पंजी में स्पष्ट रूप से वर्णित किये जाऐगें। अस्वीकृति आदेश की प्रति मुख्य विवाह निबंधक को भी प्रेषित की जाएगी। अस्वीकृति आदेश ऑनलाईन निर्गत होगा तथा विवाह अस्वीकृति आदेश पंजी (प्रपत्र–ख) में इसकी प्रविष्टि की जाएगी।

10) विवाह निबंधक द्वारा केवल ऐसे विवाह का ही निबंधन किया जाएगा जहाँ आवेदक सभी शर्तों को पूरा करते हों।

11) प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी तक विवाह निबंधक विगत वर्ष में निबंधित विवाहों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन जिला निबंधक को उपलब्ध करायेंगे।

12) अनिवार्य विवाह निबंधन अस्वीकृति आदेश के विरूद्ध अपीलः—

(क) विवाह निबंधक द्वारा विवाह निबंधन अस्वीकृति आदेश पारित किए जाने पर पक्षकारों द्वारा एक माह के अन्दर मुख्य विवाह निबंधक के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी। मुख्य विवाह निबंधक द्वारा तीन माह के अन्दर अपील का निपटारा किया जाएगा।

(ख) मुख्य विवाह निबंधक के आदेश के विरूद्ध एक माह के भीतर महानिबंधक, विवाह के कार्यालय में अपील की जा सकेगी।

13) अभिलेख संधारण तथा सच्ची प्रतिलिपिः—

(i) ऑनलाइन प्रक्रिया अन्तर्गत विवाह के आवेदन, विवाह निबंधक द्वारा की गयी पृच्छाओं, अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये आपत्तियाँ तथा विवाह प्रमाण—पत्र, डिजिटली संधारित होंगे जबकि ऑफलाईन विवाह से संबंधित अभिलेख तथा समस्त प्रक्रियाएँ हार्ड कॉपी में संधारित होंगी।

(ii) विवाह प्रमाण—पत्र निर्गत होने के साथ दोनों पक्षकारों के नाम, पता, विवाह निबंधन की तिथि आदि से संबंधित विवरण के साथ अनुक्रमणी ऑनलाईन जनित होगी। विवाह के पक्षकारों द्वारा उन अनुक्रमणियों की खोज अवलोकन निर्धारित शुल्क भुगतन कर किया जा सकेगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क चुका कर विवाह प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकेगी। अन्य व्यक्तियों द्वारा विवाह निबंधक की अनुमति प्राप्त कर अनुक्रमणी की खोज एवं निरीक्षण तथा विवाह प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकेगी।

(iii) विवाह निबंधक द्वारा यह अनुमति उसी स्थिति में प्रदान की जाएगी जब उसे प्रतीत हो कि यह जाँच उचित कारणों से की जा रही है।

(14) संशोधन एवं कठिनाई निवारण :— राज्य सरकार आवश्यकतानुसार नियमावली के प्रावधानों में संशोधन कर सकेगी तथा महानिबंधक विवाह नियमावली के प्रावधानों को लागू करने हेतु तथा कठिनाईयों के निवारण हेतु अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कुसंगत आदेश पारित कर सकेगें।

ह0/—
(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक :– विधि कोषांग–023 / 2017...6421/वि0 , रांची, दिनांक 06.10.18

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– विधि कोषांग–023 / 2017...6421/वि0 , रांची, दिनांक 06.10.18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– विधि कोषांग–023 / 2017...6421/वि0 , रांची, दिनांक 06.10.18

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रांची / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त–सह–जिला निबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

Notification Compulsory marriage act 01-08-18 Mamta

प्रपत्र–'क'
रोकड़ बही (नियम–5)

अनिवार्य विवाह निबंधन शुल्क	प्राप्त राशि
विलंब शुल्क	
खोज शुल्क	
प्रमाणित प्रति शुल्क	
अथदण्ड	
आपत्ति शुल्क	
अन्यान्य	
कुल प्राप्त राशि	

प्रपत्र–'ख'
विवाह अस्वीकृति आदेश पंजी– नियम–7(xv)

आवेदन संख्या	पक्षकारो का नाम	विवाह निबंधन अस्वीकृति का कारण	अस्वीकृति आदेश निर्गत करने की तिथि	पक्षकारो को सूचि त करने की तिथि	मुख्य निबंधक को करने की तिथि
1	2	3	4	5	6

अनुसूची–'क'
(देखें नियम–6 IV)
<u>खण्ड 'क'</u>

विवाह हेतु प्रतिबंधित संबंध

1 माता
2 पिता की विधवा (सौतेली माँ)
3 माँ की माँ
4 माँ के पिता की विधवा (सौतेली नानी)
5 माँ की माँ की माँ
6 माँ की माँ के पिता की विधवा
7 माँ के पिता की माँ
8 माँ के पिता के पिता की विधवा
9 पिता की माँ
10 पिता के पिता की विधवा (सौतेली दादी)
11 पिता की माँ की माँ
पिता के माँ की पिता की विधवा (सौतेली परदादी)
13 पिता के पिता की माँ
14 पिता के पिता के पिता की विधवा (सौतेली परदादी)
15 बेटी
16 बेटे की विधवा
17 बेटी की बेटी
18 बेटी की बेटे की विधवा
19 बेटे की बेटी
20 बेटे के बेटे की विधवा
21 बेटी की बेटी की बेटी
22 बेटी की बेटी के बेटे की विधवा
23 बेटी के बेटे की बेटी
24 बेटी के बेटे के बेटे की विधवा
25 बेटे की बेटी की बेटी
26 बेटे की बेटी के बेटे की विधवा
27 बेटे के बेटे की बेटी
28 बेटे के बेटे की बेटे की विधवा
29 बहन
30 बहन की बेटी
31 भाई की बेटी
32 माँ की बहन
33 पिता की बहन
34 पिता के भाई की बेटी
35 पिता के बहन की बेटी
36 माता की बहन की बेटी
37 माता के भाई की बेटी

नोट— इस भाग के प्रयोजनों के लिए [illegible] प्रयोग में तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है।

<u>[illegible] 'ख'</u>

1 पिता
2 माता के पति (सौतेले पिता)
3 पिता के पिता
4 पिता की माता के पति (सौतेले [illegible])
5 [illegible] के पिता [illegible]
6 [illegible] माता के पति [illegible]
7 [illegible] के पिता
8 [illegible] का माता के पति [illegible]
9 [illegible] के पिता
10 माता की माता के पति (सौतेले ना[illegible])
11 माता के पिता के पिता
12 माता के पिता की माता के पति (सौ[illegible])
13 माता की माता के पिता
14 माता की माता की माता के पति (सौतेले [illegible])
15 बेटा
16 बेटी का पति
17 बेटा का बेटा
18 बेटे की बेटी के पति
19 बेटी का बेटा
20 बेटी के बेटी के पति
21 बेटा का बेटा का बेटा
22 बेटे के बेटे के बेटी के पति
23 बेटे की बेटी कर बेटा
24 बेटे की बेटीकी बेटी के पति
25 बेटी के बेटे का बेटा
26 बेटी के बेटे की बेटी का पति
27 बेटी का बेटा
28 बेटी की बेटी की बेटी का पति
29 भाई
30 भाई का बेटा
31 बहन का बेटा
32 माता का भाई
33 पिता का भाई
34 पिता के भाई का बेटा
35 पिता की बहन का बेटा
36 माता की बहन का बेटा
37 माता का भाई का बेटा